



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 बैशाख, 1944 (श०)

संख्या - 214 राँची, मंगलवार,

10 मई, 2022 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

13 अप्रैल, 2022

संचिका सं०-5/स०भू० गिरिडीह(DFCCIL)-108/2021-1272 (5) /रा०--

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची।

विषय:-

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-30.03.2022 में मद संख्या-50 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में गिरिडीह जिलान्तर्गत अंचल-सरिया, मौजा-सरियाखुर्द, थाना सं०-32, खाता सं०-02, प्लॉट सं०-3477 में अंतर्निहित कुल रकबा-0.024 एकड़ भूमि, किस्म-गैरमजरूआ आम रास्ता (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-I) राजस्व विभागीय संकल्प सं०-4306/रा०, दिनांक-24.10.2014 की कंडिका-2(I) के अनुसार निर्धारित दर के आधार पर संगणित की गयी सलामी की राशि 40,075/- (चालीस हजार पचहत्तर) रुपये मात्र, सलामी का 5 (पाँच) प्रतिशत लगान की राशि 2,004/- (दो हजार चार) रुपये, लगान का 145 प्रतिशत सेस की राशि 2,905/- (दो हजार नौ सौ पाँच) रुपये

मात्र तथा लगान+सेस का पूंजीकृत मूल्य (25 गुणा) की राशि 1,22,730/- (एक लाख बाईस हजार सात सौ तीस) रुपये अर्थात् कुल देय राशि 1,62,806/- (एक लाख बासठ हजार आठ सौ छः) रुपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-II) की अदायगी पर डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) के विशेष रेलवे लाईन निर्माण हेतु भारतीय रेलवे के पक्ष में सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

- i. इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा 12 माह में कार्य प्रारंभ नहीं करने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी।
- ii. उपायुक्त, गिरिडीह प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉट में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजात से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे।
- iii. प्रस्तावित में सन्निहित जंगल-झाड़ी भूमि का गैर वानिकी उपयोग कार्य करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही जंगल-झाड़ी भूमि की हस्तांतरण की कार्रवाई उपायुक्त, गिरिडीह सुनिश्चित करेंगे।
- iv. संबंधित उपायुक्त द्वारा खासमहाल मैन्युअल में विनिर्दिष्ट प्रावधान तथा समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत अनुदेश/परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
- v. यदि परियोजना के अंतर्गत वृक्षादि हैं तो वैसी स्थिति में वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय अधियाची विभाग से राशि प्राप्त कर ली जायेगी।
- vi. इस हस्तांतरण से प्राप्त राशि बजट शीर्ष "0029 भू-राजस्व-107" के अंतर्गत जमा होगी।
- vii. राजस्व विभागीय संकल्प जापांक-4306/रा0, दिनांक-24.10.2014 के द्वारा सरकारी भूमि का मूल्य का निर्धारित दर/सलामी से संबंधित कंडिका-2(I) में विनिर्दिष्ट तीन मापदंडों के अनुसार ही भूमि के मूल्य की गणना कर उसके भुगतान अदायगी पर भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की जायेगी। अगर परियोजना से संबंधित दर/सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने से पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी।
- viii. प्रसंगाधीन मामले में एकरारनामा का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा एवं निबंधन पर निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क धार्य होगा। एकरारनामे के निबंधन के समय अधियाची विभाग से उक्त राशि प्राप्त कर ली जायेगी।
- ix. राजस्व विभागीय संकल्प जापांक-4306/रा0, दिनांक-24.10.2014 के आलोक में प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान

तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा, परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। उपायुक्त, गिरिडीह यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची निकाय द्वारा भुगतये होगा। एकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा ।

- x. यदि निर्धारित अवधि के अंतर्गत अधियाची संस्थान द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो भूमि हस्तांतरण हेतु दी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा। अधियाची संस्था द्वारा राशि जमा किये जाने के बावजूद भी यदि जिला प्रशासन को अधियाची संस्था को भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार मिश्रा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

5/संभू गिरिडीह (DFCCIL)-109/2021-1272/रा०

13 अप्रैल, 2022

अनुलग्नक-I

भूमि की विवरणी :-

क्र०	अभिलेख सं०	अंचल	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
01	02/2020-21	सरिया	सरियाखु र्द	32	02	3477	0.024	गैरमजरूआ आम रास्ता
कुल-							0.024	

अनुलग्नक-II

भूमि के मूल्य की गणना विवरणी:-

क्र० सं०	अभिलेख सं०	रकबा (ए० में)	बाजार दर प्रति एकड़ (रूपये में)	सलामी (रूपये में)	लगान (सलामी का 5%) (रूपये में)	सेस (लगान का 145%) (रूपये में)	पूँजीकृत मूल्य = (लगान+से स) X25 (रूपये में)	कुल देय राशि (5+8) (रूपये में)
1	2	4	5	6	7	8		9
01	02/2020-21	0.024	1669800	40075.2	2003.76	2905.45	122730.25	162805.5
कुल-		0.024						162805.5 या 162806

कुल देय राशि रू० 162806/- (एक लाख बासठ हजार आठ सौ छः सौ रुपये) मात्र।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।
